रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2002/VAISAKHA 10, 1924

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2002

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002

फा. सं. आई आर डी ए/रेग्यु/4/2002.—प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114क की उपधारा (2) के खंड (य ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 है।

(2) विनियम 4(1) को छोड़कर, जो तारीख 1 अक्टूबर, 2002 को प्रवृत्त होगा, ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और उसके पश्चात् होने वाली सभी बीमा संविदाओं को लागू होंगे।

(3) ये विनियम, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए ऐसे किसी अन्य विनियम के अतिरिक्त हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पालिसीधारकों के हित के संरक्षण के लिए उपबंध हो सकते हैं।

(4) ये विनियम सभी बीमाकर्त्ताओं, बीमा अभिकर्त्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों और पालिसीधारकों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "कवर" से ऐसी कोई बीमा संविदा अभिप्रेत है, जो किसी बीमा संविदा की विद्यमानता को साक्ष्य देने के लिए सही पालिसी के रूप में हो या कवरनोट या बीमा प्रमाणपत्र के रूप में हो अथवा उद्योग में प्रचलित किसी अन्य रूप में हो;

(घ) ''प्रस्ताव प्ररूप'' से ऐसी कोई प्ररूप अभिप्रेत है, जो बीमा के प्रस्तावकर्त्ता द्वारा किसी जोखिम की बाबत बीमाकर्त्ता द्वारा अपेक्षित सभी तात्विक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए भरा जाता है, जिससे कि बीमाकर्त्ता यह विनिश्चय करने में समर्थ हो सके कि जोखिम स्वीकार करना चाहिए अथवा ठुकरा देना चाहिए और जोखिम स्वीकार करने की दशा में मंजूर किए जाने वाले कवर की दरें, निबंधन और शर्तें अवधारित करने में भी समर्थ हो सके;

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए ''सामग्री'' से बीमाकर्त्ता द्वारा लिए जाने वाले जोखिम के निम्नांकन के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण, आवश्यक और सुसंगत जानकार अभिप्रेत होंगी और इसमें सभी पूर्वोक्त सम्मिलित होंगे;

(ङ) ''विवरण पत्रिका'' से बीमाकर्त्ता द्वारा या उसकी ओर से बीमा के संभावित क्रेता को जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत हैं, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होनी चाहिए जो बीमा नियम, 1939 के नियम 11 में वर्णित है और इसमें प्रयोजन को सिद्ध करने वाली कोई विवरणिका या पर्चा भी सम्मिलित है। ऐसे किसी दस्तावेज को मुख्य उत्पाद दर राइडरों के प्रकार और स्वरूप को भी, उन पर होने वाले फायदों की प्रकृति को उपदर्शित करते हुए विनिर्दिष्ट करना चाहिए;

(च) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या बीमा नियम, 1949 में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका उन अधिनियमों या नियमों में है।

3. विक्रय का प्वायंट-(1) ऊपर विनियम 2(ङ) में किसी बात के होते हुए भी किसी बीमा उत्पादन की विवरणिका में फायदों की गुंजाइश और बीमा कवर के विस्तार के विषय में स्पष्ट रूप में कथन होगा और यह बीमा कवर की वारंटियों, अपवादों और शर्तों को सुस्पष्ट रीति में स्पष्ट करेगी और जीवन बीमा के मामले में विवरणिका यह स्पष्ट करेगी कि क्या उत्पाद भाग लेने वाला (लाभों सहित) अथवा भाग ने लेने वाला (लाभों रहित) है। उत्पाद पर उपलब्ध अनुज्ञेय राइडर अथवा राइडरों को उनके फायदों की गुंजाइश के संबंध में स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा और किसी भी दशा में सभी राइडरों से संबंधित प्रीमियम का योग मुख्य उत्पाद के प्रीमियम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-किसी जीवन पालिसी से जुड़े राइडर या राइडरों की प्रकृति और स्वरूप मुख्य पालिसी के समान अर्थात् भाग लेने वाले अथवा भाग न लेने वाले होगा और तद्नुसार जीवन बीमाकर्त्ता अपनी पुस्तकों में उपबंध, आदि बनाएगा।

(2) कोई बीमाकर्त्ता, या उसका अभिकर्त्ता अथवा अन्य मध्यवर्ती भावी क्रेता को प्रस्तावित कवर के संबंध में सभी तात्विक जानकारी उपलब्ध कराएगा जिससे कि भावी क्रेता ऐसे सर्वोत्तम कवर के विषय में विनिश्चय करने में समर्थ हो सके, जो उसके हित में हो।

(3) जहां भावी क्रेता किसी बीमाकर्त्ता या उसके अभिकर्त्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती की सलाह पर निर्भर करता है, वहां ऐसे व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से भावी क्रेता को सलाह देनी चाहिए।

(4) जहां किसी कारणवश प्रस्ताव और संबंधित कागजों को भावी क्रेता द्वारा नहीं भरा जाता वहां प्रस्ताव प्ररूप के अंत में भावी क्रेता का एक प्रमाणपत्र सम्मिलित किया जाना चाहिए कि उसे प्ररूप और दस्तावेजों की विषय-वस्तु पूर्णत: स्पष्ट कर दी गई है और यह कि उसने प्रस्तावित संविदा के महत्व को पूर्णत: समझ लिया है।

(5) विक्रय की प्रक्रिया में बीमाकर्त्ता या उसका अभिकर्त्ता या कोई मध्यवर्त्ती

(i) प्राधिकरण

(ii) अधिनियम की धारा 64ग के अधीन स्थापित परिषदों और

(iii) ऐसे मान्यताप्राप्त वृतिक निकाय या संगम, जिसका अभिकर्त्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती सदस्य है, द्वारा विहित आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करेगा।

4. बीमा के लिए प्रस्ताव-(1) समुद्री बीमा कवर के मामलों को छोड़कर, जहां विद्यमान बाज़ार प्रथाएं लिखित प्रस्ताव प्ररूप पर जोर नहीं देती, सभी मामलों में, कवर को, चाहे वह जीवन कारबार के लिए हो अथवा साधारण कारबार के लिए हो, मंजूर किए जाने के लिए प्रस्ताव को लिखित दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित किया जाना चाहिए। बीमाकर्त्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 30 दिन के भीतर बीमा कराने वाले को प्रस्ताव प्ररूप की निशुल्क प्रति दे।

(2) कवर मंजूर किए जाने में प्रयुक्त प्ररूपों और दस्तावेजों को, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, भारत के संविधान के अधीन मान्यताप्राप्त भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।

(3) भावी क्रेता को प्रस्ताव के प्ररूप को भरने के लिए अधिनियम की धारा 45 के उपबंधों से दिशा निर्देश प्राप्त करने हैं। जीवन बीमा की मंजूरी के लिए जानकारी की वांछा रखने वाले किसी प्रस्ताव प्ररूप में अधिनियम की धारा 45 की अपेक्षाएं प्रमुख रूप से कथित हो सकेंगी।

(4) जहां प्रस्ताव प्ररूप का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां बीमकार्त्ता मोखिक अथवा लिखित रूप में अभिप्राप्त जानकारी को अभिलिखित करेगा और 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावकर्त्ता से उसकी पुष्टि करेगा और उसे उसके कवर नोट या पालिसी में सम्मिलित करेगा। जहां बीमाकर्त्ता यह दावा करता है कि प्रस्तावकर्त्ता ने किसी तात्विक जानकारी को छिपाया है या बीमा की मंजूरी के लिए तात्विक किसी विषय के संबंध में भ्रामक या मिथ्या जानकारी दी है तो वहां इस प्रकार अभिलिखित नहीं की गई जानकारी के संबंध में साबित करने का भार बीमाकर्त्ता पर होगा।

(5) जहां कहीं प्रस्तावकर्त्ता को अधिनियम के निबंधनों में या पालिसी की शर्तों के अनुसार नामनिर्देशन का फायदा उपलब्ध है, वहां बीमाकर्त्ता प्रस्तावकर्त्ता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करेगा और भावी क्रेता को सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(6) बीमाकर्त्ता प्रस्ताव पर द्रुत गति से और दक्षतापूर्वक कार्यवाही करेगा और उस पर उसके सभी विनिश्चय उसके द्वारा लिखित में युक्तियुक्त समय में जो बीमाकर्त्ता द्वारा प्रस्ताव की प्राप्ति से 15 दिन से अधिक नहीं होगा, संसूचित किए जाएंगे।

5. शिकायत निदान प्रक्रिया-प्रत्येक बीमाकर्त्ता के पास पालिसीधारकों की शिकायतों का दक्षतापूर्वक और शीघ्रता से निदान करने के लिए उचित प्रक्रिया और प्रभावी तन्त्र होगा और उसे बीमा ओमबड्समेन के संबंध में जानकारी के साथ पालिसीधारक को, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, संसूचित किया जाएगा।

6. ऐसे मामले जिनका जीवन बीमा पालिसी में कथन किया जाएगा-(1) किसी जीवन बीमा पालिसी में निम्नलिखित के विषय में स्पष्ट कथन होंगे :

(क) पालिसी को शासित करने वाली योजना का नाम, उसके निबंधन और शर्तें;

(ख) क्या यह लाभों में भागीदारी करने वाली है अथवा नहीं;

(ग) लाभों में भागीदारी करने का आधार जैसे कि नकद बोनस, अस्थगित बोनस, साधारण या चक्रवृद्धि प्रत्यावर्ती बोनस;

(घ) संदेय फायदे और ऐसी आकस्मिकताएं, जिनके होने पर ये फायदे संदेय हैं और बीमा संविदा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ङ) मुख्य पालिसी से जुड़ने वाले राइडरों के ब्यौरे;

(च) जोखिम प्रारंभ होने की तारीख और परिपक्वता की तारीख या ऐसी तारीखें, जिनको फायदे संदेय हैं;

(छ) संदेय प्रीमियम, संदाय का आवर्तन, प्रीमियम के संदाय के लिए अनुज्ञात अनुग्रह अवधि, प्रीमियम की अंतिम किश्त की तारीख, प्रीमियम की किश्त (किश्तों) का संदाय बंद करने की विवक्षा और साथ ही प्रत्याभूत सुपुर्दगी मूल्य के उपबंध भी;

(ज) पालिसी के आरंभ के समय आयु और क्या उसे स्वीकार किया गया है;

(झ) (क) पालिसी को शोधित पालिसी में संपरिवर्तित करने (ख) सुपुर्दगी (ग) अपवर्तनेत्तर और (घ) व्ययगत पालिसी को पुनर्जीवित क ने के लिए पालिसी अपेक्षाएं;

(ञ) मुख्य पालिसी और राइडर दोनों की बाबत, कवर के विस्तार में सम्मिलित नहीं की गई आकस्मिकताएं;

(ट) नामनिर्देशन, समनुदेशन और पालिसी की प्रतिभूति पर ऋणों के लिए उपबंध और एक कथन कि ऐसे ऋण की रकम पर संदेय ब्याज की दर बीमाकर्त्ता द्वारा ऋण लिए जाने के समय विहित की जाएगी।

(ठ) प्रथम गर्भधारण खंड, आत्महत्या खंड, इत्यादि जैसे कोई विशेष खंड या शर्तें;

(ड) ऐसे दस्तावेज, जिन्हें दावाकर्त्ता द्वारा पालिसी के अधीन दावे के समर्थन में सामान्यतया प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(2) बीमा कराने वाले को पालिसी अग्रेषित करने में विनियम 6(1) के अधीन कार्रवाई करते समय बीमाकर्त्ता पालिसी के अग्रेषण पत्र द्वारा यह सूचना देगा कि उसके पास पालिसी के निबंधनों और शर्तों का पुनर्विलोकन करने के लिए पालिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि है और जहां बीमा कराने वाला उनमें से किसी निबंधन या शर्त से सहमत नहीं है तो वहां उसके पास अपने आक्षेप का कथन करते हुए पालिसी वापस करने का विकल्प है और तब वह कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम तथा बीमाकर्त्ता द्वारा प्रस्तावकर्त्ता की चिकित्सीय जांच और स्टाम्प शुल्क पर उपगत व्ययों की कटौती के अधीन रहते हुए संदत्त प्रीमियम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा।

(3) यूनिट से सहबद्ध पालिसी की बाबत इस विनियम के उपविनियम (2) के अधीन कटौतियों के अतिरिक्त बीमाकर्त्ता रद्दकरण की तारीख को यूनिटों की कीमत पर यूनिटों को पुनः क्रय करने का हकदार होगा।

(4) ऐसे कवर की बाबत, जहां प्रभारित प्रीमियम आयु पर निर्भर करता है, बीमाकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पालिसी दस्तावेज जारी करने से यथासंभव पूर्व आयु को स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी दशा में जहां पालिसी जारी करने के समय तक आयु को स्वीकार नहीं किया गया है, वहां बीमाकर्त्ता आयु का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और उसे यथासंभव शीघ्र स्वीकार करेगा।

7. ऐसे मामले जिनका साधारण बीमा पालिसी में कथन किया जाएगा-(1) किसी साधारण बीमा पालिसी में निम्नलिखित के विषय में स्पष्ट कथन होंगे :

(क) बीमा कराने वाले के (वालों के) और ऐसे किसी बैंक (किन्हीं बैंकों) या किसी अन्य व्यक्ति के नाम और पते, जो बीमा की विषय-वस्तु में वित्तीय हित रखते हैं;

(ख) बीमाकृत संपत्ति या हित का पूर्ण ब्यौरा;

(ग) पालिसी के अधीन बीमाकृत संपत्ति या हित की अवस्थिति या अवस्थितियां और जहां कहीं समुचित हो उनका बीमाकृत मूल्य भी साथ दिया जाएगा;

(घ) बीमा की अवधि;

(ङ) बीमाकृत अवधि;

(च) कवर किए गए और कवर नहीं किए गए खतरे;

(छ) लागू कोई विशेषधिकार या निगम्य;

(ज) संदेय प्रीमियम और जहां कहीं प्रीमियम समाशोधन के अधीन अनंतिम है, वहां प्रीमियम के समाशोधन के आधार का कथन किया जाएगा;

(झ) पालिसी के निबंधन, शर्तें और वारंटियां;

(ञ) पालिसी के अधीन दाता उदभूत करने में संभाव्य आकस्मिकता के होने पर बीमाकृत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई;

(ट) दावा उदभूत करने वाली घटना होने पर बीमा की विषय वस्तु के संबंध में बीमाकृत की बाध्यताएं और ऐसी परिस्थितियों में बीमाकर्त्ता के अधिकार;

(ठ) पालिसी से जुड़ने वाली कोई विशेष शर्त;

(ड) दुर्व्यपदेशन, कपट, तात्विक तथ्यों का अप्रकटन या बीमाकृत द्वारा असहयोग के आधारों पर पालिसी के रद्दकरण के लिए उपबंध;

(ढ) बीमाकर्त्ता का वह पता जहां बीमा संविदा के संबंध में सभी संसूचनाएं भेजी जानी चाहिए;

(ण) मुख्य पालिसी से जुड़े राइडरों के ब्यौरे;

(त) किसी संसूचना का ऐसा प्रोफार्मा, जिसे बीमाकर्त्ता पालिसीधारक से पालिसी की सर्विस के लिए मांग सकेगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्त्ता, बीमाकृतों को, पालिसी के निबंधनों में उद्भूत दावे को प्रस्तुत करने के संबंध में बीमाकृतों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं और बीमाकर्त्ता को दावे का शीघ्र समाधान करने में समर्थ बनाने के लिए उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विषद में सूचित करेगा और आवधिक रूप से सूचित करता रहेगा।

8. जीवन बीमा पालिसी की बाबत दावे प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया-(1) किसी जीवन बीमा पालिसी में ऐसे मुख्य दस्तावेजों के विषय में कथन होगा, जिनकी दावाकर्त्ता द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(2) कोई जीवन बीमा कंपनी, किसी दावे की प्राप्ति पर बिना किसी विलंब के दावे पर कार्यवाही करेगी। किन्हीं शंकाओं या अतिरिक्त दस्तावेजों की अपेक्षा को यथा संभव एक साथ दावे की प्राप्ति से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा न कि थोड़ा-थोड़ा करके।

(3) जीवन पालिसी के अधीन किसी दावे को, सभी सुसंगत कागजों और अपेक्षित स्पष्टीकरणों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर या तो संदत्त किया जाएगा अथवा विवादित ठहराया जाएगा। तथापि, जहां दावे की परिस्थितियां, बीमा कंपनी की राय में जांच को न्यायोचित ठहराती हैं, वहां वह ऐसी जांच आरंभ करेगी और शीघ्रता से तथा किसी भी दशा से दावा प्रस्तुत करने के समय से छः मास से अनधिक समय में पूरी करेगी।

(4) अधिनियम की धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां कोई दावा संदाय के लिए तैयार है किन्तु पाने वाले की समुचित पहचान के किन्हीं कारणों से संदाय नहीं किया जा सकता है, वहां जीवन बीमाकर्त्ता पाने वाले के फायदे के लिए रकम को धारण करेगा और ऐसी रकम पर किसी अनुसूचित बैंक के बचत बैंक खाते को लागू दर पर ब्याज (सभी कागज और जानकारी प्रस्तुत करने से 30 दिन पश्चात् से प्रभावी) अर्जित होगा।

(5) जहां बीमाकर्त्ता द्वारा दावे पर कार्यवाही करने में उपविनियम (4) के अंतर्गत आने वाले कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से विलंब होता है, वहां जीवन बीमा कंपनी दावे के रकम पर उस दर से ब्याज का संदाय करेगी, जो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसके द्वारा दावे का पुनर्विलोकन किया गया था, आरंभ में प्रचलित बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक है।

9. साधारण बीमा पालिसी की बाबत दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-(1) कोई बीमाकृत या दावाकर्त्ता, बीमाकर्त्ता को बीमा की संविदा के अधीन उद्भूत होने वाली किसी हानि के विषय में शीघ्रातिशीघ्र या ऐसे विस्तारित समय के भीतर सूचना देगा, जो बीमाकर्त्ता द्वारा अनुज्ञात किया जाए। ऐसी किसी संसूचना की प्राप्ति पर साधारण बीमाकर्त्ता तुरंत कार्रवाई करेगा और बीमाकृत को ऐसी प्रक्रियाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बताएगा, जो उसे अपनानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां हानि/दावे के निर्धारण के लिए सर्वेक्षक की नियुक्ति की जानी है, वहां बीमाकृत से सूचना की प्राप्ति से 72 घंटे के भीतर इसकी नियुक्ति की जाएगी।

(2) जहां बीमाकृत सर्वेक्षक द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां देने में असमर्थ है या जहां सर्वेक्षक को बीमाकृत का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है बहां, यथास्थिति, बीमाकर्त्ता या सर्वेक्षक बीमाकृत को लिखित में ऐसे विलंब के विषय में जानकारी देगा, जो दावे के निर्धारण में हो सकता है। सर्वेक्षक हानि के निर्धारण के दौरान प्राधिकरण द्वारा विहित आचार संहिता के अधीन रहकर कार्य करेगा और अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर बीमाकर्त्ता को अपने निष्कर्षों की संसूचना देगा और यदि बीमाकृत ऐसी वांछा करता है तो उसे भी रिपोर्ट की एक प्रति देगा। जहां किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में, सर्वेक्षक या तो इसकी विशेष और जटिल प्रकृति के कारण, बीमाकृत को संसूचना के अधीन बीमाकर्त्ता से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगता है, वहां किसी भी दशा में सर्वेक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास से अधिक समय नहीं लेगा।

(3) यदि कोई बीमाकर्त्ता, सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर यह पाता है कि रिपोर्ट किसी विषय के संबंध में अपूर्ण है तो वह बीमाकृत को संसूचित करके सर्वेक्षक से यह अपेक्षा करेगा कि वह बीमाकर्त्ता द्वारा यथा अपेक्षित कतिपय विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बीमाकर्त्ता ऐसा कोई अनुरोध मूल सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर कर सकेगा।

परन्तु बीमाकर्त्ता द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट मांगने की सुविधा का उपयोग किसी दावे के मामले में केवल एक बार ही किया जाएगा।

(4) सर्वेक्षक ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर, संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) कोई बीमाकर्त्ता, यथास्थिति, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अतिरिक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर 30 दिन की अवधि के भीतर बीमाकृत को दावे के समाधान के लिए प्रस्ताव देगा। यदि बीमाकर्त्ता, लेखबद्ध और बीमाकृत को संसूचित किए जाने वाले किन्हीं कारणों से, पालिसी के अधीन किसी दावे को नामंजूर करने का विनिश्चय करता है, वहां वह ऐसा, यथास्थिति, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अतिरिक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(6) बीमाकृत द्वारा उपविनियम (5) में यथाकथित समाधान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर बीमाकर्त्ता प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर शोध्य रकम का संदाय करेगा। संदाय में विलम्ब के मामलों में बीमाकर्त्ता उस दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा जो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसके द्वारा दावे का पुनर्विलोकन किया गया था, आरंभ में प्रचलित बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक है।

10. पालिसीधारकों की सर्विसिंग-(1) यथास्थिति, जीवन या साधारण कारबार करने वाला कोई बीमाकर्त्ता, सभी समयों पर अपने पालिसी धारकों से सभी विषयों में, जैसे कि :

(क) पते में परिवर्तन अभिलिखित करना;

(ख) पालिसी के अधीन नया नाम निर्देशन या नामनिर्देशन में परिवर्तन नोट करना;

(ग) पालिसी पर समनुदेशन नोट करना;

(घ) पालिसी की वर्तमान स्थिति पर उसमें, प्रोद्भूत बोनस, सुपुर्दगी मूल्य और ऋण की हकदारी जैसे विषयों को उपदर्शित करते हुए जानकारी उपलब्ध कराना;

(ङ) कागजों पर कार्यवाही करना और पालिसी की प्रतिभूति पर ऋण का भुगतान करना;

(च) पालिसी की दूसरी प्रति जारी करना;

(छ) पालिसी के अधीन कोई पृष्ठांकन जारी करना; ब्याज या बीमाकृत रकम या बीमाकृत खतरों में परिवर्तन, किसी बैंक के वित्तीय हित और अन्य हितों को नोट करना; और

(ज) कोई दावा रजिस्ट्रीकृत करने और उसके शीघ्र समाधान के लिए प्रक्रिया पर मार्गदर्शन, किसी संसूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर कार्यवाही करेगा।

11. साधारण-(1) इन विनियमों के अधीन किसी प्रस्ताव या पालिसी के संबंध में ''तात्विक जानकारी'' के प्रकटन की अपेक्षाएं, बीमाकर्त्ता और बीमाकृत दोनों को लागू होंगी।

(2) पालिसी धारक, यदि बीमाकर्त्ता ऐसी अपेक्षा करता है तो, किसी प्रक्रिया के अभियोजन में या बीमाकर्त्ता के किसी तीसरे पक्षकार के विरुद्ध किन्हीं दावों की वसूली के मामलों में सहायता करेगा।

(3) पालिसी धारक ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो बीमाकर्त्ता द्वारा मांगी गई है और साथ ही ऐसी अन्य जानकारी भी देगा जो बीमाकर्त्ता के विचार से जोखिम से संबंधित है और उसे पालिसी द्वारा कवर किए जाने वाले जोखिम के उपयुक्त निर्धारण में समर्थ बनाती है।

(4) इन विनियमों के निबंधनों में किसी बीमाकर्त्ता या बीमाअभिकर्त्ता या बीमा मध्यवर्त्ती पर अधिरोपित बाध्यताओं का उल्लंघन प्राधिकरण को अधिनियम और/या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्रत्येक के या सभी के विरुद्ध संयुक्ततः और पृथकतः कार्रवाई आरम्भ करने में समर्थ बना सकेगा।

एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/161/2002/असा.]